

प्रेषक,

ओम प्रकाश द्विवेदी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय
जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग

लखनऊ दिनांक 09अप्रैल 2018

विषय - वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय- व्ययक में प्राविधानित धनराशि के आवंटन की स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च,2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाये-091-संलग्न कार्यालय-03-वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 202.93/-लाख (रू0 दो करोड़ दो लाख तिरानबे हजार मात्र) की धनराशि जिसका विवरण निम्नवत् है, आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

मानक मर्दे

(धनराशि लाख रुपये में)

01- वेतन	140.80
03- महंगाई भत्ता	14.08
04- यात्रा व्यय	0.40
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.05
06- अन्य भत्ते	8.00
07- मानदेय	0.05
08-कार्यालय व्यय	1.00
09-विद्युत देय	-
11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.35
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.60
14-मोटर गाडियों का क्रय	10.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	2.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.15
26-मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.60
46-कम्प्यूटर हाडवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	2.50
49- चिकित्सा व्यय	2.50
51- वर्दी व्यय	0.05
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	10.00
योग-	202.93

(रू० दो करोड़ दो लाख तिरानबे हजार मात्र)

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंसियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व इसकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उपरोक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य मद/सेवा पर व्यय नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय संगत नियमों तथा आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद ही किया जायेगा। व्यय को कड़ाई से साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर ही रखा जाय तथा मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कम्प्यूटर एवं उसके सहवर्ती उपकरणों का क्रय आई. टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशानुरूप/आदेशानुरूप ही किया जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्षक-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाये-091-संलग्न कार्यालय-03-वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
(ओम प्रकाश द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-02/2018-आर0जी0344(1)/दस-2018-44/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, 30प्र0इलाहाबाद।
- 2-महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, 30प्र0इलाहाबाद।
- 3-कोषाधिकारी जवाहर भवन,लखनऊ।
- 4-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 5-गार्ड फाइल

आज्ञा से ,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।